न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 19/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/358**
दायर दिनांक :– 30.01.2023 **निर्णय दिनांक :– 20.08.2025**

1. रमजान खां पुत्र शेरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी चाडी तहसील आउ जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. समरे खां पुत्र फतेखां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. जिनत पुत्री फतेखां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. जाकर पुत्र समरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. मेहबूब पुत्र समरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. शकूर खां पुत्र समरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
6. मलूकी पुत्री फते खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
7. लालखातु पुत्री फते खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
8. हनीफों पुत्री फते खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
9. केशर पुत्री फते खां फौत के कायम मुकाम

9/1 कालू खां पुत्र दावद खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
9/2 नेने खां पुत्र दावद खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
9/3 छोटू खां पुत्र दावद खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
9/4 बिस्मिला पुत्री दावदखां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
9/5 एमणों पुत्री दावदखां जाति सिन्धी मुसमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

10. शरीफों पुत्री फते खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
11. सदीक पुत्र शेरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी चाडी तहसील आउ जिला फलोदी
12. मेदे खां पुत्र शेरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी चाडी तहसील आउ जिला फलोदी
13. ताजे खां पुत्र शेरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी चाडी तहसील आउ जिला फलोदी
14. मूसे खां पुत्र शेरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी चाडी तहसील आउ जिला फलोदी
15. सोनखातु पत्नी शेरे खां जाति सिन्धी मुसमान निवासी चाडी तहसील आउ जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री मदनसिंह भाटी अधि. अ. सं. 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 2331 रकबा 6.3455 हैक्टेयर सरहद मौजा बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 व 11 ता 14 के दादा एंव अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 6 ता 10 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 15 के ससुर फते खां पुत्र इमाम खां के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 व 11 ता 14 के दादा एवं अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 6 ता 10 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 15 के ससुर फते खां पुत्र इमाम खां फौत हो चुके है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 11 ता 15 का संयुक्त रूप से 1/48 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार ही प्रार्थी मौके पर काबिज है। इसलिये प्रार्थी पैतृक भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप के खेत खसरा नम्बर 2331 रकबा 6.3455 हैक्टेयर में प्रार्थी अपने पैतृक 1/48 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में आंका नहीं जा सकता है। प्रार्थी असमर्थ एवं निर्धन है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 साधन सम्पन एवं प्रभावली व्यक्ति है जिनका सामना प्रार्थी नहीं कर सकते है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के अपने पैतृक हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिस हेतु यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

सहायक कलेक्टर

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की नामान्तरकरण संख्या 1507 मौजा बाप के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि फतेखां पुत्र इमामदीन के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि फते खां के वारिसान है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरक़ार है। वादपत्र में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि फतेखां पुत्र इमामदीन के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि फते खां के वारिसान है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के उपभोग व उपयोग आदि सुविधा से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (कलोदी)

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत 88,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)